

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
83 / 2023

दायर दिनांक
02.08.2023

निर्णय दिनांक
06.02.2024

अनवान

1. रमेश चन्द्र पिता हरिराम जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. बबलू पिता हरिराम जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. रेखा पुत्री हरिराम जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. रजनी पुत्री हरिराम जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. राकेश पिता हरिराम जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. राजमल पिता हरिराम जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. रानी पुत्री हरिराम जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. सरबती पुत्री हरिराम जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रवीण पिता बबलू जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. शंकर लाल पिता गोपीलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. केसरबाई पत्नि गोपीलाल जाति भील आयु वयस्क निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

सत्यमेव जयते

उपस्थिति:— अधिवक्ता श्री शान्तिलाल माली
एक तरफा

अप्रार्थीगण
प्रार्थीगण
अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भीमखण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमीन संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 132 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 797 रकबा 3.10 हैक्ट0 तथा आराजी संख्या 798 रकबा 0.13 हैक्ट0 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 3.23 हैक्ट0, कृषि भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण

की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 30.01.2024 को अप्रार्थी सं० 1 व 2 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा भीमखण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 132 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 797 रकबा 3.10 हैक्ट० तथा आराजी संख्या 798 रकबा 0.13 हैक्ट० कुल किता 02 कुल रकबा 3.23 हैक्ट०, कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन